कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 25.10.2025 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों की मान्यता के आलोक में उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। समिति की सदस्यों द्वारा बैठक में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन का अवलोकनोपरांत विद्यालय को मान्यता दिये जाने संबंधी कमी पायी गयी। समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यालय से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन की मांग के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 3166, 3167, 3168, 3169, 3170 एवं 3171 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा प्रस्तावित निजी विद्यालयों को इमेल के माध्यम से पत्र एवं प्रपत्र उपलब्ध करा दी गयी है। जिन विद्यालयों को इमेल के द्वारा पत्र एवं प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ वैसे विद्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों की सूची ranchi.nic.in, dseranchi.com, rte.jharkhand.gov.in में उपलब्ध है। विशेष जानकारी हेतु कार्यालय के हेल्प लाइन मोबाइल नम्बर–7766008785 पर प्राप्त की जा सकती है।

ह०/–
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

ज्ञापांक: 3192 **/राँची, दिनांक:** 07.11.2025

प्रतिलिपि: जिला जन सूचना पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दिनांक 09.11.2025 के दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि ranchi.nic.in में उक्त एवं विद्यालय की सूची तथा प्रपत्र प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

07/11/25

जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

Scanned with OKEN Scanner